पत्रांक–11/वि0 11–137/2024..........2573
बिहार सरकार, शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

योगेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 24/10/24

विषयः– **उच्चत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु TRE-I & II के शिक्षकों से प्राप्त अध्ययन अवकाश के आवेदन का निष्पादन करने एवं प्रार्थित अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्चत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु TRE-I & II से नियुक्त शिक्षकों के द्वारा अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में जिलों को मार्गदर्शन भेजने की माँग के साथ आवेदन समर्पित किया गया है। मामले की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार TRE-I & II से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति देय नही है। तथापि संबधित शिक्षकों के द्वारा उच्चत्तर योग्यता प्राप्त किये जाने को विभाग के हित में मानते हुए आपको निदेशित किया जाता है कि इस प्रकार का अनुरोध/आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत वर्णित अवधी का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाय।

विदित हो कि नियम 180 एवं 236 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति के आलोक में संबंधित कर्मी को उक्त अवकाश की अवधी का कोई वेतनादी देय नही होता है। अतएव उच्चत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश के रूप में असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिये सर्वप्रथम संबधित शिक्षक से उक्त आशय का लिखित आवेदन प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य है। तदोपरांत आवेदन के अन्य समस्त पहलुओं यथा अवकाश की स्वीकृति से संबधित विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित ना होने आदि का विचारण करते हुए केवल योग्य मामले में उच्चत्तर योग्यता प्राप्त करने हेतु TRE-I & II से नियुक्त शिक्षकों को नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाय।

निदेशों की अवहेलना अथवा अयोग्य/अन्य विषयक मामलों में असाधारण अवकाश की स्वीकृति मनमाने ढंग से दिये जाने का मामला संज्ञान में आने पर आपके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

(योगेन्द्र सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–11/वि0 11–137/2024.........2573
पटना, दिनांक 24/10/24

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

D/Section-11/Rahul Letter-2024

102